संख्या-37/2024-736-22-4-2024-1369563

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 2024

विषय:- जनपद महोबा में नवीन जिला कारागार के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-42/2023/111/2023/22-4-2023-140(ब)/97-1369563, दिनांक 29.03.2023 तथा शासनादेश संख्या-6/2024/001-1277/22-4-2023-1369563, दिनाक 17.01.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्रमश: जनपद महोबा में नवीन जिला कारागार का निर्माण कराये जाने हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा प्रायोजना की लागत धनराशि रू० 20342.99 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 2500.00 लाख (रूपया पच्चीस करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि से परियोजना लागत के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 4000.00 लाख (रुपया चालीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में उपमहानिरीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 के पत्र संख्या-23872/नम-2/महोबा नवीन कारागार (भाग-2)/2024, दिनांक 07.08.2024 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2024-25 में जनपद महोबा में नवीन जिला कारागार का निर्माण कराये जाने हेतु परियोजना लागत के सापेक्ष तृतीय किश्त की धनराशि रू0 7740.00 लाख (रुपया सतहत्तर करोड चालीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैः-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(2) इस सम्बन्ध में परियोजना हेतु मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-42/2023/111/2023-22-4-2023-140(ब)/97-1369563, दिनाक 29.03.2023 में उल्लिखित शर्तो / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य मद में किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जाएगा।
(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनाँक 31.03.2025 तक कर लिया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 77,40,00,000 (रुपये सतहत्तर करोड़ चालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000800 कारागारों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव।

संख्या-37/2024-736-22-4-2024-1369563, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, लखनऊ।
(6) जिलाधिकारी, महोबा।
(7) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ।
(8) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्युयक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।